



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कोनी, बिलासपुर -495009 (छ.ग.)
 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के 25 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय
 दूरभाष: ०६७५१ - २६०००० - २६०००३ वेबसाईट - www.ggu.ac.in

क्रमांक 613 / परीक्षा / 2018

बिलासपुर, दिनांक 26-03-2018

अधिसूचना

विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं (अभियांत्रिकीय एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला को छोड़कर) में सत्र 2017-18 में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर द्वितीय प्रयास (ATKT) की परीक्षा दिनांक 03.04.2018 से दोपहर 02 से 05 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षाओं के संचालन हेतु वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष के अनुशंसानुसार निम्नानुसार केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है:-

परीक्षा केन्द्र - फार्मेसी विभाग

वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष - प्रो। अनुपमा सक्सेना, राजनीति शास्त्र विभाग

केन्द्राध्यक्ष - डॉ. दिलीप कुमार पाल, सह प्राध्यापक फार्मेसी विभाग

सहायक केन्द्राध्यक्ष -
 1. डॉ. एस.के. लांडियाना, सहायक प्राध्यापक फार्मेसी विभाग
 2. डॉ. कै.कैशवन, सहायक प्राध्यापक फार्मेसी विभाग

तृतीय वर्गीय कर्मचारी -
 1. श्री राजेश राठौर, कार्यालय सहायक फार्मेसी विभाग
 2. श्री प्रशांत कुमार मिश्रा फार्मेसी विभाग

चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी -
 1. श्री नित्यानंद सिंह, एम.टी.एस. फार्मेसी विभाग
 2. श्री जितेन्द्र कुमार ढीवर, एम.टी.एस. शारीरिक शिक्षा विभाग

टीप:- वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष आवश्यकतानुसार परीक्षा कार्य में विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में कार्यरत् तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार परीक्षा कार्य में संविलियन कर सकते हैं।

परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)

पृ. क्रमांक 614 / परीक्षा / 2018

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति/कुलसचिव जी के निजी सचिव/निज सहायक को कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष, प्रो। अनुपमा सक्सेना, राजनीति शास्त्र विभाग गुरुगंगांवीयो बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. संबंधित केन्द्राध्यक्ष एवं संवर्संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समरत विभागाध्यक्षों को अपने विभाग के अभिप्रामाणक पत्र संबंधित केन्द्राध्यक्ष की ओर प्रेषित करने हेतु सूचनार्थ।
6. सहायक कुलसचिव, भण्डार/गोपनीय/वित्त को सूचनार्थ।
7. मीडिया प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समन्वयक आई.टी. प्रकोष्ठ, संगणक विभाग को उक्त अधिसूचना वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सहायक कुलसचिव(परीक्षा)